रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2000/कार्तिक 11, 1922
No. 700] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2000/KARTIKA 11, 1922

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2000

का. आ. 972 (अ).— केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 79 (अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में :

(i) क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी :-

"5, डा० (श्रीमती) एस० बी० लाल,
अपर आचार्य,
भेषजगुण विज्ञान विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली . सदस्य"

(ii) क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमसंख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी :-

"6, श्री पी० एन० माजी,
संयुक्त औद्योगिक सलाहकार,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
रसायन और पैट्रोरसायन विभाग,
नई दिल्ली, सदस्य"

[फा. सं. 19-4/95-पी पी I]

पी.डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का०आ०सं० 79(अ) दिनांक 3 फरवरी,1997 को प्रकाशित हुए थे और का० आ० सं० 420 (अ) दिनांक 30.5.97, का० आ० सं० 71 (अ) दिनांक 20.1.98 तथा का० आ० सं० 23 (अ) दिनांक 3.1.2000 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2000

S. O. 972 (E).— In exercise of the powers confetred by section 5 of the Insecticides Act, 1968(46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely:-

1. In the said notification,-

(i) For serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"5. Dr.(Mrs.) S.B. Lal,
Additional Professor,
Department of Pharmacology,
All India Institute of Medical Scieces,
New Delhi.
Member"

(ii) For serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"6. Shri P.N. Maji,
Joint Industrial Adviser,
Ministry of Chemicals and Fertilisers,
Department of Chemicals and Petrochemicals,
New Delhi,
Member."

Foot Note : The Principal notification was published vide No.S.O. 79(E) dated the 3rd February, 1997 and subsequently amended vide

(i) No.S.O. 420(E) dated 30-5-97.
(ii) No.S.O. 71(E) dated 20-1-98.
(iii) No.S.O. 23(E) dated 3-1-2000.

[F. No. 19-4/95-PP.I]

P.D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054